न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/6601/2006/चित्तौडगढ

1. उदा पुत्र दल्ला, जाति लुहार, निवासी ग्राम दामाखेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ (फौत) –
   - 1.1 मदनलाल पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.2 गणेशलाल पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.3 नानालाल पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.4 गोविन्द पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.5 लीला पुत्री उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.6 पुष्पा पत्नि उदा उर्फ उदयलाल

   समस्त जाति लुहार, निवासी ग्राम दामाखेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ
2. मांगू पुत्र दल्ला, जाति लुहार, निवासी ग्राम दामाखेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र हीरा, जाति लुहार – फौत होने से तर्क
2. बाबूलाल पुत्र हीरा, जाति लुहार
3. प्रतापी बेवा हीरा, जाति लुहार– फौत
4. बादामी बेवा शंकर लुहार

   समस्त निवासीयान ग्राम जूना कीर खेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तोडगढ।

.....रैस्पो0

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/6602/2006/चित्तौडगढ

1. उदा पुत्र दल्ला, जाति लुहार, निवासी ग्राम दामाखेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ (फौत) –
   - 1.1 मदनलाल पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.2 गणेशलाल पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.3 नानालाल पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.4 गोविन्द पुत्र उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.5 लीला पुत्री उदा उर्फ उदयलाल
   - 1.6 पुष्पा पत्नि उदा उर्फ उदयलाल

   समस्त जाति लुहार, निवासी ग्राम दामाखेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ
2. मांगू पुत्र दल्ला, जाति लुहार, निवासी ग्राम दामाखेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र हीरा, जाति लुहार – फौत होने से तर्क
2. बाबूलाल पुत्र हीरा, जाति लुहार
3. प्रतापी बेवा हीरा, जाति लुहार– फौत
4. बादामी बेवा शंकर लुहार

   समस्त निवासीयान ग्राम जूना कीर खेडा, तह0 कपासन, जिला चित्तोडगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तोडगढ।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जगदम्बा प्रसाद, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः – 03–07–2019

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपील संख्या 41/2006 एवं अपील संख्या 43/2006 शीर्षक नारायण बनाम उदा में पारित निर्णय दिनांक 21–07–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलों में निहित पक्षकारान, विवाद बिन्दु, वादग्रस्त आराजीयात समान होने से दोनों अपीलों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय दोनों पत्रावलियों में लगाया जाए।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश, कपासन के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 व 188 के तहत घोषणा, दुरुस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा के अनुतोष हेतु वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा तारा खेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तोडगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 906 रकबा 1.80 है0, 1053/891 रकबा 13 एअर, 1054/906 रकबा 11 एअर के गत पैमाइश सम्वत् 2012 के खसरा नम्बर 696 रकबा 7–04 बीघा, 698 रकबा 2.02 बीघा थे। इन नम्बरान का सम्वत् 1980 की पैमाइश के नम्बर 410, 411, 412, 416, 417, 418 है। यह आराजी पक्षकारान की मौरुसी है और इसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। वादपत्र के मद संख्या–2 में पक्षकारान का सजरा अंकित किया गया। वादपत्र में अंकित किया कि मूल पुरुष भोरा पिता केरीग की सम्वत् 2008 में मृत्यु होने के पश्चात् वादीगण के पिता दला के बडे भाई नाथु ने सारी आराजी अपने नाम दर्ज करा ली जब कि इसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा बनता है। उक्त अंकनों के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान करते हैं। अतः दावा वादी डिक्री कर घोषणा की जाये कि आराजी खसरा नम्बर 906 रकबा 1.80 है0, 1053/891 रकबा 13 एअर, 1054/906 रकबा 11 एअर के 1/2 हिस्से के वादीगण व 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण संयुक्त रुप से खातेदार काश्तकार हैं। आराजी का विभाजन कर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जाये और प्रतिवादीगण को वादीगण के 1/2 हिस्से में मजाहमत मदाख्लत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाए।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ दिनांक 19–2–1997 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए और प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ दि नांक 13–10–98 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने निर्णय दिनांक 11–2–1999 से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया और दिनांक 30–5–1999 को अंतिम डिक्री किया गया।

3– अधीनस्थ परीक्षण द्वारा पारित किए गए प्राथमिक डिक्री के निर्णय दिनांक 11–2–1999 के विरुद्ध अपील संख्या 41/2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30–5–1999 के विरुद्ध अपील संख्या 43/2006 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा निर्णय दिनांक 21–07–2006 से दोनों अपीलों को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया। अपील संख्या 41/2006 के विरुद्ध अपील संख्या 2006/6602 एवं अपील संख्या 43/2006 के विरुद्ध अपील संख्या 2006/6601 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–वादी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः प्रेषित करने में अनियमितता की है। मियाद के बिन्दु पर जो धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। नारायण ने पटवारी से ज्ञान होना बताया है किन्तु सम्बन्धित पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किा गया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि विचारण न्यायालय के स्तर से प्रतिवादी पक्ष को विधिक रुप से सम्मन तामील किए गए थे, तामील कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में इसे अंकित किया है। प्रतिवादीगण के जानबूझ कर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में ही, नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 19.2.1997 एवं 13.10.1998 रिकार्ड पर लिये गये थे। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय में वादपत्र में हमारे द्वारा सजरा पेश किया गया है जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत आराजी में हमारा 1/2 हिस्सा है और परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य को विस्तृत रुप से परीक्षण करते हुये दिनांक 11–2–1999 को प्राथमिक डिक्री जारी की है और प्राथमिक डिक्री के उपरान्त मौका कमिश्नर से विधिवत तकास्मा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 30–5–1999 को अंतिम डिक्री पारित की गई है। परीक्षण न्यायालय के प्राथमिक व अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की तात्विक व रेकार्ड सम्बन्धी त्रुटि नहीं होते हुये भी अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को अनावश्यक रुप से पुनःपरीक्षण हेतु विचारण न्यायालय को लौटाने में विधिक भूल की है। अतः दोनों अपीलें

स्वीकार कर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाये।

6– रैस्पो0/प्रतिवादीगण पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि दिनांक 19.2.1997 एवं 13.10.1998 को प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरुद्ध गलत प्रकार से इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। प्रतिवादीगण को जो नोटिस जारी किए गए हैं वे विधिक प्रक्रिया के तहत तामील नहीं कराये गये हैं और तामील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के परिप्रेक्ष्य में नहीं की गई हैं, अतः इस प्रकार की अनुचित तामील के आधार पर इकतरफा कार्यवाही कर प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी करना नैसर्गिक न्याय के सुसंगत प्रावधानों के पूर्णतया प्रतिकूल है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः हमें सुनवाई करते हुये, निर्णय करने हेतु प्रति प्रेषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से दोनों अपीलों को खारिज किया जाये।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 व 188 के तहत घोषणा, दुरुस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु जो वाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ दिनांक 19–2–1997 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए और प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ दिनांक 13–10–98 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए और उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने निर्णय दिनांक 11–2–1999 से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया और दिनांक 30–5–1999 को अंतिम डिक्री किया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री के निर्णय दिनांक 11–2–1999 के विरुद्ध अपील संख्या 41/2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30–5–1999 के विरुद्ध अपील संख्या 43/2006 प्रस्तुत की गईं, जिन्हें स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। इस प्रकार मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील संख्या 2006/6601 अंतिम डिक्री पर पारित किए गए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तथा अपील संख्या 2006/6602 प्राथमिक डिक्री पर पारित किए गए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

9– परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार स्पष्ट है कि दिनांक 31–12–96 को "वादपत्र बाद जांच पेश हुआ, दर्ज रजिस्टर किया जाये। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जा कर वास्ते जबाब दावा दिनांक 15–1–97 को पेश हो", आदेशिका अंकित की गई है। दिनांक 15–1–97

को आदेशिका सील लगाकर दी गई है जिसमें अंकित किया है "बकुलाय फरीकेन हाजिर। अतः पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 19.2.97 को पेश हो" इसके आगे हाथ से अंकित किया गया है "प्रतिवादीगण हाजिर नहीं"। दिनांक 19–2–97 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ इक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद दिनांक 29–7–97 से 23–8–98 तक कुल 9 पेशियां सील लगाकर दी गई हैं और दिनांक 13–10–98 को आदेशिका अंकित की गई है "वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं, इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा की जाती है। पत्रावली वास्ते शहादत वादी दिनांक 17–12–98 को पेश हो"। स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 5 के खिलाफ इक तरफा कार्यवाही विचारण न्यायालय के स्तर पर की गई है। सम्मनों के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या–1 बाबूलाल को जो सम्मन जारी किया गया है वह उसे किस दिनांक को प्राप्त हुआ है, दिनांक अंकित नहीं की गई है। प्रतिवादी संख्या–3 बादामी को जो सम्मन जारी किया गया है उसकी पुश्त पर कहीं अंकन नहीं है कि सम्मन किसी को तामील किया गया हो, इस पर किसी के हस्ताक्षर/निशानी नहीं हैं। अतः इन तामीलों को विधिवत रुप से कराई गई तामील नहीं माना जा सकता है। प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2052 के अनुसार खसरा नम्बर 906 रकबा 1.80 है0, 1053/891 रकबा 13 एअर, 1054/906 रकबा 11 एअर प्रतिवादीगण की खातेदारी में अंकित है और प्रश्नगत आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से की डिक्री प्रदान करने से पूर्व प्रतिवादीगण को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का यथोचित अवसर प्रदान किया जाना न्याय के नैसर्गिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है।

10– वादी का वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ साथ धारा 53 के तहत विभाजन का भी रहा है और विभाजन के वाद में अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस दिया जाना, उनके ऐतरात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है जब कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को अंतिम डिक्री से पूर्व, विभाजन किये जाने के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। मौका पर्चा के अनुसार भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण विभाजन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं रहे हैं। तहसीलदार को स्वयं मौके पर जा कर नियम 18 से 21 की अनुपालना में विभाजन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी जब कि प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनाई गई है और तहसीलदार द्वारा इस रिपोर्ट को ही फारवर्ड कर उपखण्ड अधिकारी, कपासन को प्रेषित कर दिया गया है जिसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है।

11– फलतः उपरोक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर हमारा मत है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का यथोचित अवसर प्रदान किये बिना, नैसर्गिक न्याय के विपरीत जाते हुये प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन निर्णयों को निरस्त करते हुये

प्रकरण को पुनः सुनवाई करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। फलतः अपील अपीलार्थी संख्या 6601/2006 एवं 6602/2006 सारहीन होने से **खारिज** की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य